Original

प्ररूप-1क

(नियम 3 देखिए)

(सोसायटी की उप-विधियां)

3206/23
29/02/2024

आवेदन क्रमांक : S4230108985413122023

अनुमोदन दिनाँक : 07 Jan 2024

1.	सोसायटी का नाम CADET ALUMNI ASSOCIATION होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक D/14 MACHNA COLONY NEAR 6 NO BUS STOP TT NAGAR 462016 तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित होगा। मोबाईल क्रमांक(अध्यक्ष/सचिव) 8638075112 एवं ईमेल आईडी mpcgalumni@gmail.com
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र SIMIT होगा।
4.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः-

1	विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये
2	विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जन-साधारण को अवगत कराना।
3	तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। साथ ही तकनीकी शिक्षा में योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
4	प्राकृतिक, जीव विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। साथ ही नर्सिंग, पैरामेडीकल, प्राकृतिक, वैदिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एलोपैथिक चिकित्सा की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
5	व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित करना तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी सेवाऐं प्रदान करने में सहयोग करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
6	संस्कृत शिक्षा, वैदिक शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
7	राजनैतिक, नैतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
8	स्कूलों, कॉलेजों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे- साक्षरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।
	राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण, संस्थान आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
10	आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप दूरवर्ती शिक्षा संचार तथा पत्राचार आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहभागी बनना तथा नई खोज को बढ़ावा देना।
11	उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये कार्य करना।
12	महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, असहाय, ग्रामीणों, झुग्गी बस्ती, झुग्गी झोपडी, विकलांगों, पिछड़े इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, दूरवर्ती क्षेत्रों, सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग कर उनका सर्वांगीण विकास करना।
13	शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा रूझान विशेषत: प्रौढ़ शिक्षा में पैदा करने हेतु जागरूकता शिविर/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
14	राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयन |
15	महापुरूषो के आदर्श उपदेशो का प्रचार-प्रसार करना तथा उनके बताये मार्ग पर चलने हेतु आमजन को प्रेरित करने का प्रयास करना।
16	केन्द्र तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन करवाना तथा प्रशिक्षण आयोजित करना तथा समाज के सभी वर्गो की जानकारी प्रदान करना।
17	योग, वैदिक योग, ध्यान केन्द्रों का संचालन करना। लोगों को योग के महत्व को समझाना। जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। निर्धन, बेसहारा, उपेक्षित खेल एवं योग प्रशिक्षकों एवं उनके परिवारों को हर संभव मदद करना।
18	वाणिज्य, उद्योग तथा खादी की प्रोन्नति
19	पुस्तक एवं अन्य कला संबंधी प्रदर्शनी आयोजित करना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलित वाचनालय द्वारा व्यक्ति में पढ़ने की आदत विकसित करना।
20	कौशल विकास केन्द्रों एवं ट्रेनिंग सेन्टर्स की स्थापना व संचालन करना।

5.	सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगेः-
	(क) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ख) आजीवन सदस्य वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।
	(ग) साधारण सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है।
	(घ) मानद सदस्य- सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे मतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।
6.	**सदस्यता की करना-**प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।

122023

2

S423010898541315

7. **सदस्यता के लिए अर्हता-** सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य है:-
   1. आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
   2. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
   3. उसे सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसार करता हो ।
   4.सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति-** सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:-
   1. मृत्यु हो जाने पर|
   2. पागल हो जाने पर|
   3. नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदान जमा करने में असफल रहने पर |
   4. त्याग पत्र देने पर, यदि स्वीकृत हो जाता है तो |
   5.कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय। ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. **सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी:-**
   1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर
   2.रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख |
   3.सदस्यता की समाप्ति की तारीख।

10. **(क) साधारण सम्मिलन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।
    (ख)प्रबंधकारिणी समिति- प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

11. **साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व-**
    एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना ।
    दो. सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना ।
    तीन. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना।
    चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए।
    पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना।
    छ. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।

12. **प्रबंधकारिणी समिति का गठन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :-
    (1)अध्यक्ष 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोषाध्यक्ष 1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)सदस्य 2

13. **प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल:** प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

14. **प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व-**
    (क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है।
    (ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना।
    (ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना ।
    (घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना ।
    (ड.) ऐसे आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।
    (च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी ।
    (छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सम्मिलन के समक्ष रखा जाएगा। संशोधनों के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त सम्मिलन तथा साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

17. **सचिव के अधिकार-**
    (क) जब कभी भी आवश्यक हो, साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना ।>
    (ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना।
    (ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए ।
    (घ) सचिव, एक समय में रू. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।

20. **बैंक खाता-** सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा। दैनिक खर्चे के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/- रहेंगे।

21.	रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे, प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
22.	विघटन- सोसायटी द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया, यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुक्रम हो तो निष्पादित की जाएगी।
23.	सम्पत्ति- समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
Signature valid Signed by: Adhyaksh/Member on 08-01-2024 15:25:24	Signature valid Signed by: Sachiv/Member on 08-01-2024 15:27:45	Signature valid Signed by: kosh Adhyaksha/Member on 08-01-2024 15:38:21
अध्यक्ष / सदस्य	सचिव / सदस्य	कोषाध्यक्ष / सदस्य

आसि. रजिस्ट्रार ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES भोपाल

शुल्क रुपये 200/- चालान / रसीद द्वारा
दिनांक ...... को प्रस्तुत किया गया है। यह शुद्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है
जारी होने की दिनांक ......

प्रमाणक के हस्ताक्षर

T-C

(संजय ...)
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल

3206/13
F 29/02/2024

प्रारूप-1

(नियम 3 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

आवेदन क्रमांक : S42301089854131222023

अनुमोदन दिनांक : 07 Jan 2024

1.	सोसायटी का नाम CADET ALUMNI ASSOCIATION होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक D/14 MACHNA COLONY NEAR 6 NO BUS STOP TT NAGAR 462016 तहसील Huzur जिला Bhopal मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 8638075112 ईमेल आईडी mpcgalumni@gmail.com
3.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
1	विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं की अभिवृद्धि के लिये
2	विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना तथा वैज्ञानिक गतिविधियों से जन-साधारण को अवगत कराना।
3	तकनीकी शिक्षा के प्रचार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। साथ ही तकनीकी शिक्षा में योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
4	प्राकृतिक, जीव विज्ञान एवं चिकित्सा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। साथ ही नर्सिंग, पैरामेडीकल, प्राकृतिक, वैदिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एलोपैथिक चिकित्सा की शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
5	व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्थापित करना तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी सेवाएँ प्रदान करने में सहयोग करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
6	संस्कृत शिक्षा, वैदिक शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
7	राजनैतिक, नैतिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना। उपरोक्त हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। उपरोक्त हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
8	स्कूलों, कॉलेजों तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों जैसे- साक्षरता केन्द्र, संस्कार शिक्षा केन्द्र का संचालन करना।
9	राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण, संस्थान आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
10	आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप दूरवर्ती शिक्षा संचार तथा पत्राचार आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहभागी बनना तथा नई खोज को बढ़ावा देना।
11	उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिये कार्य करना।
12	महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, असहाय, ग्रामीणों, झुग्गी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, विकलांगों, पिछड़े इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, दूरवर्ती क्षेत्रों, सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग कर उनका सर्वांगीण विकास करना।
13	शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा रुझान विशेषत: प्रौढ़ शिक्षा में पैदा करने हेतु जागरूकता शिविर/ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
14	राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयन |
15	महापुरुषों के आदर्श उपदेशो का प्रचार-प्रसार करना तथा उनके बताये मार्ग पर चलने हेतु आमजन को प्रेरित करने का प्रयास करना।
16	केन्द्र तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन करवाना तथा प्रशिक्षण आयोजित करना तथा समाज के सभी वर्गो की जानकारी प्रदान करना।
17	योग, वैदिक योग, ध्यान केन्द्रों का संचालन करना। लोगों को योग के महत्व को समझाना। जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। निर्धन, बेसहारा, उपेक्षित खेल एवं योग प्रशिक्षकों एवं उनके परिवारों को हर संभव मदद करना।
18	वाणिज्य, उद्योग तथा खादी की प्रोन्नति
19	पुस्तक एवं अन्य कला संबंधी प्रदर्शनी आयोजित करना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलित वाचनालय द्वारा व्यक्ति में पढ़ने की आदत विकसित करना।
20	कौशल विकास केन्द्रों एवं ट्रेनिंग सेन्टर्स की स्थापना व संचालन करना।
4.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है। हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और साक्षी की उपस्थिति में हमने ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच न्यस्त किया गया है जो नीचे विनिर्दिष्ट है-

अनुक्रमांक (1)	पिता/ पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम (2)	पूरा पता (3)	जन्मतिथि/ आयु (4)	मोबाइल नंबर (5)	उपजीविका (6)	तदर्थ शासी निकाय में पद धारित करने की दशा में पदनाम (7)	हस्ताक्षर (8)

1	Sanjoy Ghosh / Dinesh Chandra Ghosh	D/14 MACHNA COLONY NEAR 6 NO BUS STOP, TT NAGAR, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	20/08/1967	9695996611	Social Work	अध्यक्ष	Signature valid Signed by: Adhyaksh on 08-01-2024 15:40:25
2	Sandeep Kanoongo / Ambika Prasad Kanoongo	H.NO. 238/2 SAKTI NAGAR SECTOR 2 BHEL, 462024, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	01/06/1965	9827058856	Social Work	उपाध्यक्ष	Signature valid Signed by: UpAdhyaksh on 08-01-2024 15:51:06
3	Adam Mansoor / Nasir Ahmed	255 MIG DUPLEX AISHBAGH COLONY, - 462010, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	05/02/1983	9406540786	JOB	सचिव	Signature valid Signed by: Sachiv on 09-01-2024 17:[illegible]6:46
4	Nasir Saeed / Mohammad Uzzama Saeed	FLAT NO FT-06 FIFTH FLOOR VERONICA KHUSHI HEGHTS, RAY SEC-A GONDERMAU ABBAS NAGAR, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	19/09/1982	9425464415	JOB	कोषाध्यक्ष	Signature valid Signed by: kosh Adhyaksha on 09-01-2024 17:30:54
5	Mita Wadhwa / Shital Chandra Mallik	602 – C BLOCK VIRASHA, HEIGHTS DANISH KUNJ DAMKHEDA, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	18/09/1971	9893043435	Social Work	संयुक्त सचिव	Signature valid Signed by: sanyukt sachiv on 09-01-2024 17:43:12
6	Runa Bhutda / Dileep Gupte	C-1106 OBEROI EXQUISITE C WING 11 FLOOR OBEROI GAR, -400063, , Mumbai, Maharashtra	26/08/1977	9820624079	Social Work	सदस्य	Signature valid Signed by: sadasya on 10-01-2024 15:37:12

7	Rajesh Kumar Gaba / Des Raj Gaba	H.NO. -79 IQBAL COLONY ASHOKA GARDEN, 462023, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	17/11/1978	9893443010	JOB	सदस्य	Signature valid Signed by sadasya on 10-01-2024 16:19:31

सोसायटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक SBIN00061591475191220236335 43

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

शुल्क रुपये 200/

दिनांक

दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति

जारी होने

पहचान पत्र का क्रमांक ACSPG6367L

पते का क्रमांक AJC3301942

सहायक के हस्ताक्षर

Signature valid
Signed by Witness on 13-01-2024 13:53:46

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-....................................

साक्षी का नाम :- Harsh Joshi

साक्षी का पिता/पति:- Harish Chandra Joshi

पूर्ण पता :- 3/1 Geetanjali Complex Huzur CTT Nagar - 462003

साक्षी का मोबाइल नंबर :- 6260400948

साक्षी का ईमेल आईडी :- harshjoshi91577@gmail.com

अस्ि. रजिस्ट्रार ऑफ ... ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

☑ हम सत्यापित करते हैं।

सोसायटी के पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शी बिन्दु

1 ज्ञापन पत्र में निर्धारित स्थान पर समस्त निर्माणकर्ताओं एवं साक्षी के हस्ताक्षर/E-Sign यथा स्थान होना चाहिये।

T - C

(संजय सोनी)
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
भोपाल नर्मदापुरम संभाग,भोपाल